

तारीख  
हस्ताक्षर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/10/21 पत्रावली पत्रालन जांचे के सेंगे अभियान  
कैम्प बागोर में पेश हुई, शपथीगण के समूह  
काड तामिल होकर सात डुराडिले शा-पठ किये  
गये। पत्रकार हल्का द्वारा फौका रिपोर्ट प्राप्त  
हुई जिसे शा-पठ किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय हल्का से लिख्य  
जाकर शा-पठ किया गया। पत्रावली के समुह  
होकर नम्बर से हुई।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपनिदेशिका  
प्रशासनिक विभाग  
प्रशासनिक विभाग काठमांडू 2021



यालय उपखण्ड

सीन अधिकारी :-

संख्या :- 16/21 ता  
मंसिर 20 707

मसकद, 21/10/21

प्रार्थन

प्रार्थी की ओर से एक प्र

किया कि ग्राम.....

संयुक्त खातों की अ

01/11/21

थवा के सीमा चिन्ह न

त खाते की भूमि की

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इ

कनार्थ से यह बात नि

कारी है। वैसे भी इस

तथा न किसी प्रका

न्त के आधार पर अ

प्रार्थी का प्रार्थना प

र हल्का.....

.....क

के चारो तरफ सी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 16/21 प्रा०पत्र

1- शमेश्वर 510 जालम अधारत जिलासी बागोर तहसील मांडल प्राथी

बनाम

1- अमस्कद 510 गौपाल अधारत जिलासी बागोर तहसील मांडल (कौग) विपक्षीगण (पहलंजिउ पत्ररफाम)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 20.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम... पटवार हल्का... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं... कुल किता ... रकबा... हेक्टेयर... स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... पटवार हल्का... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं... कुल किता ... रकबा... हेक्टेयर...

भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक... को ... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी मांडल, जिला-भीलवाड़ा 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालनारिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी मांडल, जिला-भीलवाड़ा